

प्रेषक,

निदेशक (स्वास्थ्य),
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक:—राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ/10/2025-26/2081

लखनऊ/दिनांक : 24/04/2025

विषय:—तम्बाकू नियंत्रण हेतु जनपद स्तर पर गठित 'जनपद स्तरीय समन्वय समिति' एवं 'प्राधिकृत समिति' की सूचना उपलब्ध कराये जाने विषयक।

महोदय,

जैसा कि आप अवगत है कि राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, सी0ओ0टी0पी0ए0-2003 एवं PECA-2019 लागू है, जिसके सफल क्रियान्वयन तथा मूल्यांकन एवं अनुश्रवण हेतु उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा अनुभाग-8 के आदेश संख्या-149/पाँच-8-2004-120 रिट/2001, दिनांक 24.01.2005 दिसम्बर, 2004 एवं शासनादेश संख्या-583/पाँच-7-2019, लखनऊ, दिनांक 16 सितम्बर, 2019 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में जिला अधिकारी/अध्यक्ष, एण्टी टोबैको सेल की अध्यक्षता में क्रमशः 'जनपद स्तरीय समन्वय समिति' एवं 'प्राधिकृत समिति' गठित है।

अतः आपसे अपेक्षित है कि 'जनपद स्तरीय समन्वय समिति' एवं 'प्राधिकृत समिति' के गठन/सदस्यों की अद्यतन सूचना एक सप्ताह के अन्दर महानिदेशालय की ई-मेल—nodal.ntcp.up@gmail.com पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

उक्त के अतिरिक्त यह भी निर्देशित किया जाता है कि तम्बाकू नियंत्रण हेतु जनपद स्तर पर गठित समितियों में सदस्य के रूप में नामित स्वयं सेवी संस्थाओं/व्यक्तियों द्वारा "तम्बाकू उद्योग अथवा तम्बाकू उद्योग से जुड़े अन्य फाउण्डेशन या संगठन से किसी प्रकार का सहयोग अथवा उनके द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में प्रतिभाग नहीं किया जायेगा" का घोषणा पत्र लेते हुए महानिदेशालय को उपलब्ध करायें।

संलग्नक:—उपरोक्तानुसार।

भवदीय

Lawle
24/04/25

निदेशक (स्वास्थ्य)

तददिनांक

पत्रांक:—राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ/10/2025-26/

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।
2. अनु सचिव, राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प0क0 मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
3. स्टाफ आफिसर महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उ0प्र0।
4. महाप्रबन्धक, एन0सी0डी0, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।
5. अधिशाषी निदेशक, उत्तर प्रदेश वालण्टरी हेल्थ एसोसिएशन, लखनऊ।

राज्य नोडल अधिकारी, एन0टी0सी0पी0

"तम्बाकू छोड़ने हेतु 1800-112-356 पर सुबह 08.00 बजे से सायं 8.00 बजे तक (सोमवार छोड़कर) नि:शुल्क कॉल करें।"

राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश।

प्रेषक,

निदेशक (स्वास्थ्य),
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक:—राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ/10/2025-26/

लखनऊ/दिनांक : 24/04/2025

विषय:—तम्बाकू नियंत्रण हेतु जनपद स्तर पर गठित 'जनपद स्तरीय समन्वय समिति' एवं 'प्राधिकृत समिति' की सूचना उपलब्ध कराये जाने विषयक।

महोदय,

जैसा कि आप अवगत है कि राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, सी0ओ0टी0पी0ए0-2003 एवं PECA-2019 लागू है, जिसके सफल क्रियान्वयन तथा मूल्यांकन एवं अनुश्रवण हेतु उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा अनुभाग-8 के आदेश संख्या-149/पाँच-8-2004-120 रिट/2001, दिनांक 24.01.2005 दिसम्बर, 2004 एवं शासनादेश संख्या-583/पाँच-7-2019, लखनऊ, दिनांक 16 सितम्बर, 2019 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में जिला अधिकारी/अध्यक्ष, एण्टी टोबैको सेल की अध्यक्षता में क्रमशः 'जनपद स्तरीय समन्वय समिति' एवं 'प्राधिकृत समिति' गठित है।

अतः आपसे अपेक्षित है कि 'जनपद स्तरीय समन्वय समिति' एवं 'प्राधिकृत समिति' के गठन/सदस्यों की अद्यतन सूचना एक सप्ताह के अन्दर महानिदेशालय की ई-मेल—nodal.ntcp.up@gmail.com पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

उक्त के अतिरिक्त यह भी निर्देशित किया जाता है कि तम्बाकू नियंत्रण हेतु जनपद स्तर पर गठित समितियों में सदस्य के रूप में नामित स्वयं सेवी संस्थाओं/व्यक्तियों द्वारा "तम्बाकू उद्योग अथवा तम्बाकू उद्योग से जुड़े अन्य फाउण्डेशन या संगठन से किसी प्रकार का सहयोग अथवा उनके द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में प्रतिभाग नहीं किया जायेगा" का घोषणा पत्र लेते हुए महानिदेशालय को उपलब्ध करायें।

संलग्नक:—उपरोक्तानुसार।

भवदीय

निदेशक (स्वास्थ्य)
तददिनांक

पत्रांक:—राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ/10/2025-26/2082-86

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।
2. अनु सचिव, राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प0क0 मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
3. स्टाफ आफिसर महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उ0प्र0।
4. महाप्रबन्धक, एन0सी0डी0, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।
5. अधिशाषी निदेशक, उत्तर प्रदेश वालण्टरी हेल्थ एसोसिएशन, लखनऊ।

राज्य नोडल अधिकारी, एन0टी0सी0पी0

"तम्बाकू छोड़ने हेतु 1800-112-356 पर सुबह 08.00 बजे से सायं 8.00 बजे तक (सोमवार छोड़कर) नि:शुल्क कॉल करें।"
राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश।